केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बेब साईट पर अपलोडेड अफीम कृषकों के फसल वर्ष 2015–16 का अफीम पोस्त कास्त के आंकड़ों/डाटा में सुधार के संबंध में आवेदन करने की प्रकिया।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा अफीम फसल वर्ष 2015–16 के अफीम लाइसेंसधारी अफीम कृषकों के आंकड़े/डाटा यथा जिला, तहसील, गांव का नाम, कृषक का नाम/बल्दियत, फसल वर्ष, आवंटित रकबा, शुद्ध उत्पादित क्षेत्र, अफीम का 70 डिग्री पर वजन, औसत इत्यादि का कम्पूटराइजेशन/ डिजीटाइलाइजेशन किया गया है और इन आंकड़ों/डाटा को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के वेवसाइट (http://cbn.nic.in) पर पब्लिक डोमेन में यूनिटवार, खण्डवार अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन संबंधित कृषक अथवा उसके उत्तराधिकारी व अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

उपरोक्त संदर्भ में विभाग द्वारा संबंधित अफीम कृषकों/ मृतक कृषकों के उत्तराधिकारी/हितगृाही से अनुरोध/अपील की जाती है कि वे विभाग की वेवसाइट (http://cbn.nic.in) पर अपलोड किये गये कम्प्यूट्रीकृत डाटा का अवलोकन करें। यदि इसमें दी गई जानकारी में कोई त्रुटि/गलती/कमी होने की स्थिति में सुधार हेतु निम्न प्रक्रियानुसार आवेदन करेंः–

1. इस संबंध में संबंधित अफीम कृषकों/ मृतक कृषकों के उत्तराधिकारी/हितगृाही द्वारा संबंधित जिला अफीम अधिकारी को निम्न प्रारूप में आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा अथवा संबंधित जिला अफीम अधिकारी के ईमेल आई डी पर भेजा जा सकता है। प्रत्येक जिला अफीम अधिकारी कार्यालय का ई–मेल आई.डी. निम्नानुसार हैः–

क.सं.	कार्यालय का नाम	ई–मेल आई डी
	राजस्थान इकाई	
1.	जिला अफीम अधिकारी, कोटा	doo-kota@cbn.nic.in
2.	जिला अफीम अधिकारी, भीलवाडा	doo-bhilwara@cbn.nic.in
3.	जिला अफीम अधिकारी, चितौडगढ–प्रथम खण्ड	doo-chittorgarh1@cbn.nic.in
4.	जिला अफीम अधिकारी, चितौडगढ–तृतीय खण्ड	doo-chittorgarh3@cbn.nic.in
5	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ	doo-pratapgarh@cbn.nic.in
6.	जिला अफीम अधिकारी, झालावाड	doo-jhalawar@cbn.nic.in

मध्यप्रदेश इकाई		
7.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच–प्रथम खण्ड	doo-neemuch1@cbn.nic.in
8.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच–द्वितीय खण्ड	doo-neemuch2@cbn.nic.in
9.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर–प्रथम खण्ड	doo-mandsaur1@cbn.nic.in
10.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर–द्वितीय खण्ड	doo-mandsaur2@cbn.nic.in
11.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर–तृतीय खण्ड	doo-mandsaur3@cbn.nic.in
12.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा–प्रथम खण्ड	doo-jaora1@cbn.nic.in
13	जिला अफीम अधिकारी, जावरा–द्वितीय खण्ड	doo-jaora2@cbn.nic.in
14.	जिला अफीम अधिकारी, गरोठ	doo-garoth@cbn.nic.in
उत्तरप्रदेश इकाई		
15.	जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी	doo-barabanki@cbn.nic.in

2. आवेदन का प्रारूप

द्वारा : कृषक / उत्तराधिकारी का नाम			आवेदन की तिथि
पता			
(मोबाइल न. / ईमेल आईडी कोई हो)			
प्रति,	जिला अफीम अधिकारी		
अफीम पोस्त कास्त डाटा में संशोधन के बाबत निवेदन			
	जिस कॉलम के डाटा में त्रुटि है उसे (Yes) से दर्शाये	डाटा जो दर्शाया गया है	डाटा जो वास्तविक है। और दर्शाया जाना है।
कृषक का यूनिक कोड			
जिला			
तहसील का नाम			
गॉव का नाम			
कृषक का नाम / बल्दियत			
फसल वर्ष	2015–16		
लाइसेंस रकबा			
शुद्ध उत्पादित रकबा			
अफीम की गाढता			
अफीम का वजन 70 डिग्री पर			
औसत / हैंक्ट.			
किसी अन्य कॉलम में परिवर्तन हेतु उसका विवरण अंकित करें			
आवेदक द्वारा साक्ष्य के तौर पर संलग्न दस्तावेजों का विवरण			
क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है ?			
		आवेदक के हस्ताक्षर कृषक से संबंध	

नोटः

(1) अफीम पोस्त कास्त डाटा में सुधार हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितम्बर 2016 है इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा। ईमेल से भेजे जाने वाले आवेदनों में ईमेल की तिथि को अंतिम माना जाएगा।

(2) केवल उन्ही आवेदकों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा जो संबंधित डाटा में परिवर्तन हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करेंगे तथा व्यक्तिगत सुनवाई के इक्छुक होगें।

(3) यदि कोई कृषक/आवेदक कोई दस्तावेज साक्ष्य संलग्न नहीं करता है तो उसके डाटा का मिलान कार्यालय रिकार्ड से किया जाएगा। अगर डाटा और कार्यालय रिकार्ड में कोई अन्तर पाया जाता है तो डाटा को कार्यालय रिकार्ड के अनुसार संशोधन कर दिया जाएगा तथा उक्त संशोधन को वेवसाइट (http://cbn.nic.in) पर नोटिफाइ किया जाएगा यदि कोई अन्तर नहीं पाया जाता है तो डाटा में उपलब्ध विवरण ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(4) किसी भी कृषक के व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नंम्बर तथा ई–मेल आईडी पर संदेश/एसएमएस भेजा जाएगा। यदि आवेदक का मोबाइल नम्बर/ईमेल आईडी नही है तो वह मोबाइल/ईमेल आई डी के कॉलम में किसी भी अन्य व्यक्ति का मोबाइल/ईमेल आई डी अंकित करें जिससे उसे व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना दी जा सके। उनके द्वारा दिये गये मोबाइल/ईमेल आई डी पर व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि बताई जाएगी। यदि कृषक चाहे तो उस तिथि पर संबंधित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।